

प्रेषक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास,
आजीविका भवन, सर्वचौक, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़ / चमोली / देहरादून / नैनीताल,
पौड़ी एवं उधमसिंहनगर।

ग्राम्य विकास विभाग (यू0एस0आर0एल0एम): देहरादून: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2015

विषय: एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि एनआरएलएम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर जनपद एवं सघन विकासखण्डों को निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है :-

Head No.	Components	Pithoragarh	chamoli	Dehradun	Nainital	Pauri	USNagar
B1.1	DISTRICT LEVEL COST						
B1.1.1	Staff [includes travel and related costs]	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
B1.1.2	Office Set up [Lease, refurbishment, furniture etc.]						
B1.1.3	Office Equipment [Desktop computers, tablets, CUG, mobiles etc.]	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00
B1.1.4	Other Operating Costs	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
B1.2	Capacity Building Support						
B1.2.1	Staff trainings, consultations, workshops, etc.	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
	BLOCK LEVEL COST						
B2.1	Block Management Unit Costs						
B2.1.1	Start up, including furniture, equipment etc.	300000.00	600000.00	600000.00	600000.00	1200000.00	1200000
B2.1.2	Staff Costs including travel and related cost	333333	666667	666667	666667	1333333	1333333
B2.1.3	Other Operating Costs including honorarium of YPs and other resource prsons.	200000.00	400000.00	400000.00	400000.00	800000	800000.00
B2.1.4	Staff / Resource person training	166667	333333	333333	333333	666667	666667
B2.1.5	Non intensive Block Cost (For NRLM Format only)						
B2.2	Social Mobilization and Community Institutions						

B2.2.1	Social Mobilization Costs including CRP Rounds, PRP and SAP cost	200000.00	400000.00	400000.00	400000.00	800000.00	800000
B2.2.2	CRP Development Costs (include active women)	192533	385067	385067	385067	770133	770133
B2.2.3	SHG/VO/CLF Start-up Costs including IT equipment, tablets, etc.	650000.00	1300000.00	1300000.00	1300000.00	2600000.00	2600000.00
B2.2.4	SHG/VO/CLF Facilitation Costs including Community Professionals	66600	133200	133200	133200	266400	266400
B2.2.5	SHG/VO/CLF and their cadre Training and Capacity Building	280000.00	560000.00	560000.00	560000.00	1120000.00	1120000
B3	Community Investment Support Fund						
B3.1	Community Investment Support						
B3.1.1	Revolving Fund Grants to SHGs	170000.00	170000.00	250000.00	370000.00	650000.00	740000.00
B3.1.2	CIF to CLFs/VO/SHG	1000000.00	4000000.00	4000000.00	3000000.00	5000000.00	3000000.00
	Grand Total	3684133.00	9073266.00	9153266.00	8273266.00	15331533.00	13421533.00
(-)जनपद के पास पूर्व में उपलब्ध/प्रेषित धनराशि	माह जून 15 में उपलब्ध धनराशि	649941.00	443717.00	1063900.00	516929.00	1748630.00	869693.00
	माह जून 15 के पश्चात प्रेषित रिवाल्विंग फण्ड	240000.00	160000.00	280000.00	80000.00		
	सी0आर0पी0 मानदेय		40000.00		40000.00		
	Total Available	889941.00	643717.00	1343900.00	639929.00	1748630.00	869693.00
अवमुक्त की जा रही धनराशि (G.Total-total Available.)		2794192.00	8429549.00	7809366.00	7636337.00	13582903.00	12551840.00

उक्त के अतिरिक्त जनपद उधमसिंहनगर के पास रु0 262232.00 एवं जनपद पौड़ी के पास रु0 33888.00 बायफ को किया जाने वाला भुगतान लम्बित है।

उपरोक्त धनराशि आपके जनपद के एन0आर0एल0एम0 खातों में निम्नविवरणानुसार हस्तांतरित की जा रही है—

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाते का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0 सी0 कोड	अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
1.	भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर	जिला विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक, तथा सहायक परियोजना निदेशक/जिला मिशन प्रबन्धक,	33620075091	SBIN0003291	8429549.00
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा, भगतसिंह चौक रुद्रपुर	SGSY	26950100001753	BARBOBLY RUD	12551840.00
3	पंजाब नेशनल बैंक, नया बाजार, पिथौरागढ़	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पिथौरागढ़	1672000101178873	PUNB00 167200	2794192.00

4	पंजाब नेशनल यमुना कालोनी देहरादून	DISRTRICT COORDINATOR/ CDO DRDA/ DISTRICT MISSION MANAGER	396800010019734 9	PUNB00 0396800	7809366.00
5	बैंक ऑफ बड़ौदा, भीमताल जिला नैनीताल	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नैनीताल	98430100002606	BARB0EXTNA N	7636337.00
6	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, विकास भवन, पौड़ी	डी0एम0एम0यू0 (आजीविका) पौड़ी गढ़वाल	76005228074	SBINORRUTG B	13582903.00
योग					52804187.00

उक्त धनराशि का मदवार उपयोग परिशिष्ट-1 पर उल्लिखित विनियमों के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों/ शर्तों के तहत किया जायेगा :-

1. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यों प्रायोजनो पर ही व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में यू0एस0आर0एल0एम0 से बिना अनुमोदन लिये इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. मदवार धनराशि उपयोग करते समय जिन मदों में एन0आर0एल0एम0 अधिप्राप्ति नियमावली-2012 की आवश्यकता हो तो तदानुसार उक्त अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुये धनराशि का उपयोग किया जाये। किसी भी दशा में राज्य अधिप्राप्ति नियमावली अथवा अन्य अधिप्राप्ति नियमावली लागू नहीं होगी। एन0आर0एल0एम0 अधिप्राप्ति नियमावली-2012 यू0एस0आर0एल0एम0 जोकि राज्य में दिनांक 07-03-2014 से अंगीकृत की गई है को विभागीय वेबसाइट usrlm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकती है।
3. धनराशि के उपयोग के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार/ एन0एम0एम0यू0 एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड/ यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. यदि किसी मद की धनराशि का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश में जनपद स्तर पर स्पष्टता न हो तो, धनराशि का उपयोग किये जाने से पूर्व उक्त मद पर यू0एस0आर0एल0एम0 से स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।
5. एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति आख्या यथानिर्देशानुसार तथा आई0यू0एफ0आर0 निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक त्रैमास की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।
6. विन्दु B 2.2- Social Mobilization and Community Institutions के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि के उपयोग हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

भवदीय

संलग्नक - यथोपरि।

(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

प्रतिलिपि - आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

संख्या :- 334 / 31 / यूएसआरएलएम/आर0डी0/2013

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़/चमोली/देहरादून/नैनीताल,
पौड़ी एवं उधमसिंहनगर।

यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

विषय:- एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-318/31/ यू0एस0आर0एल0एम0/2013 दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर राज्य स्तर से आपके जनपद को धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

अतः पूर्व में प्रेषित उर्पवर्णित पत्र में उल्लिखित परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अनुसार धनराशि का उपयोग करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

मद	Components	धनराशि का उपयोग
	Administrative cost at DMMU level	
B1.1.1	Staff [includes travel and related costs]	इस मद का उपयोग जनपद स्तर पर एन0आर0एल0एम0 स्टाफ तथा एन0आर0एल0एम0 कार्यों हेतु यात्रा व्यय आदि पर किया जा सकता है।
B1.1.3	Office Equipment [Desktop computers, tablets, CUG, mobiles etc.]	इस मद का उपयोग जनपद स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु Desktop computers, tablets, etc के कय आदि पर व्यय किया जा सकता है।
B1.1.4	Other Operating Costs	इस मद का उपयोग जनपद स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों से संबंधित कार्यालय आवर्ती व्यय पर किया जा सकता है।
B1.2	Capacity Building Support	
B1.2.1	Staff trainings, consultations, workshops, etc.	इस मद का उपयोग जनपद स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों में लगे कर्मिकों के प्रशिक्षण/अध्ययन भ्रमण, परामर्श कार्य तथा कार्यशाला आदि के आयोजन पर किया जा सकता है।
B2	Institutional Building and Capacity Building	
B2.1	Block Management Unit Costs	निम्न मदों की धनराशि केवल विकासखंड स्तर पर व्यय की जायगी।
B2.1.1	Start up, including furniture, equipment etc.	इस मद का उपयोग प्रत्येक सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों में लगे कर्मियों के यात्रा भत्ता आदि में की जा सकती है।
B2.1.2	Staff Costs including travel and related cost	इस मद का उपयोग प्रत्येक सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्य में लगे कर्मियों के यात्रा भत्ता आदि पर व्यय किया जा सकता है।
B2.1.3	Other Operating Costs including honorarium of YPs and other resource persons.	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों हेतु नियुक्त रिसोर्सपूल के रिसोर्स पर्सन तथा मिशन के अन्तर्गत नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स के मानदेय आदि पर किया जा सकता है।
B2.1.4	Staff / Resource person training	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के कार्यों में कार्यरत स्टाफ तथा एन0आर0एल0एम0 के रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण संबंधित कार्यों पर व्यय किया जा सकता है।
B2.2	Social Mobilization and Community Institutions	
B2.2.1	Social Mobilization Costs including CRP Rounds, PRP and SAP cost	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सामाजिक गतिशील जिसमें सी0आर0पी0राउंड तथा अन्य सामुदायिक प्रोफेशनल्स द्वारा सामुदायिक संगठनों के निर्माण हेतु सामाजिक गतिशीलन के कार्यों पर किया जा सकता है।
B2.2.2	CRP Development Costs (include active women)	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सी0आर0पी0 तथा सक्रिय महिलाओं को तैयार करने जिसमें उनका दूसरे प्रदेशों में अध्ययन भ्रमण आदि भी शामिल है, पर व्यय किया जा सकता है।
B2.2.3	SHG/VO/CLF Start-up Costs including IT equipment, tablets, etc.	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर संलग्नक -1 पर उल्लिखित कार्यों पर किया जा सकता है।
B2.2.4	SHG/VO/CLF Facilitation Costs including Community Professionals	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों (SHG/VO/CLF) के सुगमीकरण कार्यों तथा इन हेतु कार्यरत सामुदायिक काडर के प्रोफेशनल्स हेतु किया जा सकता है।
B2.2.5	SHG/VO/CLF and their cadre Training and Capacity Building	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों (SHG/VO/CLF) तथा सामुदायिक काडर के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त मद का उपयोग एन0आर0एल0एम0 स्वयं सहायता समूहों के सरस मेले में प्रतिभाग के समय टी0ए0/डी0ए0 हेतु किया जा सकता है जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11011/01/2013-Mkt.cell दिनांक 14 अगस्त 2013 के द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित है।
B3	Community Investment Support Fund	
B3.1.1	Revolving Fund Grants to SHGs	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत पात्र स्वयं सहायता समूहों को परिकामी निधि यथा नियमानुसार जैसा कि पूर्व में रिवाल्विंग फंड हेतु जारी निदेशों में उल्लिखित है, तथा जो समूह रिवाल्विंग फंड प्राप्ति हेतु यथा निर्धारित नियमानुसार पात्र हो को रू0 10,000/- से 15,000/- प्रति समूह दिये जाने हेतु किया जा सकता है।
B3.1.2	CIF to CLFs/VO/SHG	इस मद का उपयोग सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत पात्र स्वयं सहायता समूहों को सी0आई0एफ0 मार्गनिर्देशानुसार समूहों को दिये जाने हेतु किया जा सकता है जो कि प्रति समूह रू0 75,0000/- से 1,10,000/- प्रति समूह यथा मार्गनिर्देशानुसार दिये जाने की व्यवस्था है।

Annexure-2 (i)

Training/workshop/Immersion/Exposure visits/Internal CRP Development/Meetings			
Location	Nature	Rate Per day/Participants	Remarks
Outside the State	Residential including Immersion/Exposure visits	4000	Covering: Boarding & Lodging, Local Travel, Training Material, Resource Fee payable to CBO and cost of training hall, Misc. expenses (Local hiring of vehicle during training days, Other contingencies.)
	Non-Residential	2000	Covering: Training material, Resource Fee payable, cost of training hall, Misc, expenses (local hiring vehicle during training days, other contingencies)
State Head Quarters	Residential	2000	Covering: Boarding & Lodging Cost of training hall, Misc. expenses (Local hiring of vehicle during training days, Other contingencies.)
	Non-Residential	650	Covering: Food, Cost of Training hall, Misc, expenses (hiring vehicle for one day, other contingencies)
District Head Quarters	Residential	1000	Covering: Boarding & Lodging Cost of training hall, Misc. expenses (Local hiring of vehicle during training days, Other contingencies.)
	Non-Residential	450	Covering: Food, Cost of Training hall, Misc, expenses (hiring vehicle for one day, other contingencies)
Block Head Quarters	Residential	500	Covering: Boarding & Lodging Cost of training hall, Misc. expenses (Local hiring of vehicle during training days, Other contingencies.)
	Non-Residential	300	Covering: Food, Cost of Training hall, Misc, expenses (hiring vehicle for one day, other contingencies)
Village Level	Non-Residential	150	Covering: Food, Cost of Training hall, Misc, expenses (hiring vehicle for one day, other contingencies)
Within SHG		25	Rs. 25/- should cover SHG members training cost during meetings.

Note:

1. The above cost ceilings do not include travel costs, which will be paid at actual basis based on norms of State TA rules.
2. The above ceilings do not include cost of training material, which may be allowed within a limit of 10% of the total training cost.
3. The above cost do not include the fee, travel, stay, food etc for Resource person which will be paid as per the norms prescribed by the SRLM.
4. **The above costs are only upper ceilings and the actual payment will be regulated by the SRLM norms. Hence actual payment on Training/workshop/Immersion/Exposure visits/Internal CRP Development/Meetings at different location will be based on scheduled rates prevailing at district and block level.**

प्रेषक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास,
आजीविका भवन, सर्वेचौक, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़/चमोली/ देहरादून/ नैनीताल,
पौड़ी एवं उधमसिंहनगर।

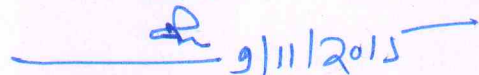
ग्राम्य विकास विभाग (यू0एस0आर0एल0एम): देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2015

विषय: एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्रांक 334/31/USRLM/RD/2013 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 तथा पत्रांक 318/31/USRLM/RD/2013 दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त पत्रों के साथ संलग्न परिशिष्ट -1 के बिन्दु संख्या B 2.1.1 में धनराशि का उपयोग त्रुटिवश सघन विकासखंड स्तर पर एन0आर0एल0एम0 कार्य में लगे कार्मिकों के यात्रा भत्ता आदि में किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त मद की धनराशि का उपयोग Startup, including furniture, equipments आदि हेतु सघन विकासखंडों में किया जाना है। अतः बिन्दु संख्या B 2.1.1 में धनराशि का उपयोग को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय



(डी0आर0जोशी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।